(

पत्रांक–02/न०वि०/स्था० व्यय०/वेतन आ०/न०पं०–114/2018–64

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ऋण

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक–20/06/18

विषय:– वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना मद अंतर्गत 04 नगर पंचायत एवं 01 अधिसूचित क्षेत्र समिति के नियमित कर्मियों के स्थापना वेतनादि मद में अधियाचित राशि कुल 1,52,66,638/- रु० के विरूद्ध ऋण के रूप में कुल अधियाचित राशि का 40% यथा, रु० 61,06,655/– (इक्सठ लाख छः हजार छः सौ पचपन रुपये) मात्र ऋण राशि की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना मद अंतर्गत 04 नगर पंचायत एवं 01 अधिसूचित क्षेत्र समिति के नियमित कर्मियों के स्थापना वेतनादि मद में अधियाचित राशि कुल **1,52,66,638/-** रु० के विरूद्ध ऋण के रूप में कुल अधियाचित राशि का 40% यथा, रु० **61,06,655/– (इक्सठ लाख छः हजार छः सौ पचपन रुपये)** मात्र ऋण राशि की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

क्र०	नगर पंचायत/ अ.क्षे.स. का नाम	कार्यरत बल	निकाय द्वारा अधियाचित राशि	ऋण के रूप में स्वीकृत अधियाचित राशि का 40%	कोषागार/ उप कोषागार	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	बासुकीनाथ	04	13,11,448	5,24,579	दुमका	कार्यपालक पदाधिकारी
2	राजमहल	07	18,62,424	7,44,970	राजमहल	
3	सरायकेला	02	7,47,120	2,98,848	सरायकेला	
4	हुसैनाबाद	10	27,65,484	11,06,194	पलामू	
5	जमशेदपुर	19	85,80,162	34,32,064	जमशेदपुर	विशेष पदाधिकारी
	कुल		**1,52,66,638**	**61,06,655**	**(इक्सठ लाख छः हजार छः सौ पचपन रुपये)**	

2. स्वीकृत/आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के मांग संख्या–48 के अधीन गैर–योजना मुख्य शीर्ष–6217–शहरी विकास के लिए कर्ज–उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य शहरी विकास योजनाएँ–लघुशीर्ष–193–नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति या उसके समतुल्य निकायों को कर्ज–उपशीर्ष–02–नगर पंचायत/अ०क्षे०स० को उनके नियमित कर्मियों के वेतनादि के लिए ऋण–विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–63–ऋण एवं अग्रिम–(विपत्र कोड–**48S621760193020763**) अंतर्गत उपबंधित राशि 178.38 लाख रु० से की जायेगी।

3. स्वीकृत ऋण की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त तालिका में उल्लेखित निकायों के नाम के सम्मुख स्तंभ vii में अंकित पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी स्तंभ vi में अंकित कोषागार/उप कोषागार से वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत की जायेगी।

4. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:–

क्र०	नगर पंचायत/अ.क्षे.स.	स्वी०संख्या/ दिनांक	निकासी की गई राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति
1	बासुकीनाथ	44/10.06.16	5,30,360	5,30,360
2	राजमहल	44/10.06.16	6,53,942	6,53,942
3	सरायकेला	44/10.06.16	5,41,042	5,41,042
4	हुसैनाबाद	383/22.03.17	28,62,350	28,62,350
5	जमशेदपुर	44/10.06.16	34,93,277	34,93,277

Arun_Vinay_ Regular Emp. Salary 2018-19.docx_(15)

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य के संचित निधि से राशि की निकासी के उपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की बजट संबंधी धाराओं के अनुसार राशि को निकाय कोष में संधारित करने के पश्चात् ही नियमानुसार व्यय करेंगे।
6. उक्त राशि की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या–2223 दि०–09.09.09 एवं 1591 दि०–16.05.11 में लिये गये निर्णय के आलोक में स्वीकृति किया जाना है। नियमानुसार निकायकर्मियों के छठे वेतन का निर्धारण निकाय स्तर से किये जाने के पश्चात् जिला लेखा पदाधिकारी से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
7. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि निकायकर्मियों को छठे वेतनमान पर भुगतान से पूर्व यह आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित निकायकर्मी को वित्त विभाग के नियमानुसार वेतन का निर्धारण किया गया है एवं निर्धारित वेतन का सक्षम स्तर से सत्यापन कराये जाने की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन की होगी। अनुमान्यता से अधिक वेतम प्राप्त करनेवाले कर्मी का अतिरिक्त वेतन का सामंजन कराये जाने की जिम्मेवारी भी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान निकाय के वैसे कर्मचारियों को किया जायेगा, जो स्वीकृत पद के विरूद्ध सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिनांक–15.11.2000 को निकाय के नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। आवंटित राशि का भुगतान निकाय में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारियों को किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
9. स्वीकृत ऋण की अदायगी राशि की निकासी की तिथि से पाँच वर्ष बाद 20 समान किस्तों में की जायेगी। स्वीकृत ऋण पर 13% की दर से ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान राशि के निकासी के एक वर्ष बाद से संबंधित निकाय द्वारा नियमानुसार सरकार को समय–समय पर किया जायेगा। ऋण वसूली की शर्तें भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्त्तनीय होगी।
10. संबंधित नगर निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत ऋण की राशि के भुगतान के पश्चात् व्यय राशि का सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सीधे भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायेंगे।
11. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने, जांच--पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. राशि के आवंटन विषयक प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अतः महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची से अनुरोध है कि संबंधित निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम से ऋण राशि का प्राधिकार पत्र शीघ्र निर्गत करते हुए प्राधिकार पत्र की एक प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–02/न०वि०/स्था० व्यय०/वेतन आ०/न०पं०–114/2018–64, राँची, दि०–20/06/18

प्रतिलिपि–माननीय (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका/कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा/पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर/उपायुक्त, दुमका, साहेबगंज, सरायकेला–खरसांवा, पलामू, एवं पूर्वी सिंहभूम/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, दुमका, राजमहल, सरायकेला, पलामू एवं जमशेदपुर कोषागार/उपकोषागार/अध्यक्ष/कार्यपालक पदाधिकारी, बासुकीनाथ/राजमहल/सरायकेला/हुसैनाबाद नगर पंचायत/जमशेदपुर अ.क्षे.स./श्री कुणाल, विशेषज्ञ (IT Specialist)/Online आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।